वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली

संख्या: 12-6(36)/एमबीएसए/2016-एस्टेट　　　　　　　　　　दिनांक: 22.04.2016

<u>परिपत्र</u>

विषय: <u>नियुक्ति स्थान या निकटस्थ नगरपालिका में स्थित स्वयं के मकान के किराए से होने वाली आय के संबंध में सूचना प्रदान करने के संबंध में</u>

संदर्भ: सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार का दिनांक 26.02.2016 का कार्यालय-ज्ञापन संख्या 18012/1/2016-Pol-III

उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन के अनुपालन में, सीएसआईआर मुख्यालय में कार्यरत सम्पदा निदेशालय के आवास के समस्त आवंटियों को निदेश दिया जाता है कि सम्पदा निदेशालय के आवास के आवंटन के समय मौजूद अथवा आवंटन के पश्चात दिल्ली अथवा उसके निकटस्थ किसी नगरपालिका में अर्जित स्वयं अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर यदि कोई मकान हो और उस मकान से किराया प्राप्त हो रहा हो तो किराए की आय के संबंध में एवं जब कभी भी इस आय में कोई परिवर्तन आए तो इसके संबंध में सम्पदा निदेशालय को सूचित करें।

साथ ही, यह भी सूचित किया जाता है कि किसी आवंटी द्वारा उपलब्ध करवाया गया किराए से प्राप्त आय का विवरण यदि बाद में गलत पाया गया तो सम्पदा निदेशालय स्वमेव उस आवंटी को आवंटित आवास की लाइसेन्स फीस 24.07.2003 के उसके कार्यालय-ज्ञापन के अनुसार दिनांक 24.07.2003 से अधिकतम बढ़ा देगा।

हरिनारायण मीना
22.04.16
(हरि नारायण मीना)
अनुभाग अधिकारी

प्रति:-

1. सम्पदा निदेशालय के आवास के सीएसआईआर मुख्यालय के सभी आवंटी (संलग्न सूची के अनुसार)
2. संयुक्त सचिव, सीएसआईआर का कार्यालय
3. उप-सचिव (के.का.) के निजी सचिव
4. आईटी प्रभाग: इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र को व्यापक प्रसार हेतु सीएसआईआर वैबसाइट पर अपलोड करें।
5. अनुसंधान भवन के सभी तलों के सभी सूचना-पट्ट
6. कार्यालय-प्रति